न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
15 / 2024	08 / 02 / 2024	26 / 11 / 2025

1. हनुमान पुत्र प्रभात
2. गोपाल पुत्र श्योनाथ
3. छाजू पुत्र छोटया
4. प्रहलाद पुत्र नाथू
5. बिरदाराम पुत्र सादिया
6. रामफूल पुत्र स्व0 हरि

जातियान मीना निवासी सांऊसीरान, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. प्रभात पुत्र रामचन्द्रा
2. गंगासहाय पुत्र रामचन्द्रा

जातियान मीणा निवासी सांऊ, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>

श्री महेश शर्मा :— वकील वादीगण।

<u>दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट</u>

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 269 रकबा 0.3700है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 1.5300है0 अनुसार वाकै ग्राम सांऊसीरान, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है। वादी की अविभाजित वादग्रस्त सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 269 एवं सींवडोल लगवा पश्चिम दिशा में भूमि खसरा नम्बर 270 स्थित है। लेकिन अपनी खातेदारी की आड में प्रतिवादीगण 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 269 मे मौके पर पश्चिमी दिशा मे वादीगण की भूमि में अवैध घुसपैठ सहित मौके पर स्वयं के हित में अतिक्रमण सहित निर्माण व कब्जा इत्यादि करने पर आमादा फिसाद है। जो कि उक्त वर्णितानुसार वादीगण की भूमि में अतिक्रमण, कब्जा, निर्माण करने व वादीगण के काश्तकारी अधिकारों के विरूद्व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को एवं उनके ऐजेन्ट सर्वेन्ट सहित अन्य को कतई अधिकार नही है जब कि प्रतिवादीगण अपने साथियों को साथ लेकर मौके पर स्थित खसरा नम्बर 269 की भूमि को अपने नाजायज अतिक्रमण व कब्जे में लेकर जबरन मौके पर स्वयं का कब्जा करने पर आमादा फिसाद है, जिससे वादीगण के मालिकाना स्वामित्व के विधिक अधिकार बाधित होगे। जो कि खातेदार काश्तकार के विरूद्व गैर कानूनी है। जिसका अधिकार प्रतिवादीगण को नही है। अतः वादी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 269 रकबा 0.37है0 अनुसार स्थित भूमि में किसी प्रकार से निर्माण, अतिक्रमण, कब्जा व मिटटी खनन इत्यादि कार्य नही करावें तथा विवादित भूमि में वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त एवं कृषि उपयोग उपभोग

Scanned with OKEN Scanner

में किसी प्रकार की बाधा, दखल, व्यवधान इत्यादि नही करे एवं उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं की करे, एवं अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट ठेकेदार, परिवारजन व अन्य लोगो से भी ना करावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। इन प्रतिवादीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1, 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम साऊसीरान, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 269 रकबा 0.3700है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 1.5300है0 किसी प्रकार से निर्माण, अतिक्रमण, कब्जा व मिटटी खनन इत्यादि कार्य नही करावें तथा विवादित भूमि में वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त एवं कृषि उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, दखल, व्यवधान इत्यादि नही करे एवं उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं की करे, एवं अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट ठेकेदार, परिवारजन व अन्य लोगो से भी ना करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 26/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई
(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

उनवान

हनुमान वगै0 बनाम प्रभात वगैराह

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 15/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री महेश शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम साऊसीरान, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 269 रकबा 0.3700है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 1.5300है0 किसी प्रकार से निर्माण, अतिक्रमण, कब्जा व मिटटी खनन इत्यादि कार्य नही करावें तथा विवादित भूमि में वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त एवं कृषि उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, दखल, व्यवधान इत्यादि नही करे एवं उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं की करे, एवं अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट ठेकेदार, परिवारजन व अन्य लोगो से भी ना करावें।

डिक्री आज दिनांक 26/11/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner